Volume-2, No. II, Aug-2015, pp.104-106

प्राथमिक शिक्षाः दशा–दिशा एवं चुनौतियाँ

श्री जयप्रकाश तिवारी, सहायक प्रोफेसर
(शिक्षा विभाग)
घनश्याम दूबे पी.जी. कालिज सुरियावां सन्तरविदास नगर, भदोही उ.प्र. भारत

शिक्षा, व्यक्ति और समाज का सर्वतोन्मुखी और श्लाघ्य उन्नयन, राष्ट्र और विश्व का अभिविकास, देवत्व और मानवत्व की परम प्रतिष्ठा, यथार्थ धरातल पर उदात्त लक्ष्यादर्शों की प्राण–प्रतिष्ठा; अतीत की भूमि पर जीवन और जगत के लिए अधिकाधिक कल्याण कर वर्तमान का अभिविन्यास तथा सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और बहुआयामी ज्ञान–विज्ञान का अभिविकास करने वाली प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर शिक्षा जीवन के पुराने प्रतिमानों को समय की नयी माँगों के अनुकून बनाने या सामंजस्य बैठाने के रूप में देखा जा सकता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्धविश्वासों को शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। वहीं समाज में नवचेतना का संचार कर विकास के मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा के सभी स्तरों में निःसन्देह प्राथमिक स्तर प्रमुख है। यही स्तर बालक के मूलभूत निर्माण और विकास की दिशा को निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध में सामाजिक और पारिवारिक वातावरण तथा स्कूल का वातावरण विशेष महत्व रखता है। इनका बच्चे की प्रवृत्तियों और मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को अनिवार्य रूप से सर्व सुलभ और निःशुल्क बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में स्थान दिया गया है।
राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के धारा–45 में राज्य को निर्देशित किया गया कि 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का दायित्व राज्य का होगा।

मुख्य शब्दः प्राथमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा गारण्टी योजना, प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति, प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करना

स्वतन्त्रता के छः दशक पश्चात् जब प्राथमिक शिक्षा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकी, तब 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6–14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए संविधान में एक नया अनुच्छेद– 21अ जोड़ा गया। प्राथमिक शिक्षा की दिशा में अगर सब कुछ ठीक–ठाक रहा और समाज तथा राज्य सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसके लिए प्रयास करे तो वह दिन दूर नहीं जब देश का प्रत्येक बच्चा कागज, कलम, दवात से जुड़ पायेगा और शिक्षा प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। इन सभी प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है।

मध्याह्न भोजन योजना

प्राथमिक शिक्षा को मूर्त रूप देने के लिए प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक समस्याओं के कारण माता–पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित न कर दें। भारत जैसे गरीब और विकासशील देश में बच्चों को आज भी आय के साधन के रूप में देखा जाता है। घर–परिवार की जीविका में बढ़ोत्तरी करने के लिए वे अपने श्रम को बेचकर पारिवारिक दायित्वों को भी निभा रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा भूख महत्वूपर्ण है। सरकार भी इस मर्म को समझती है और उसने बच्चों की शिक्षा पर माता–पिता को अपनी आय का कोई अतिरिक्त खर्च न करना पड़े, इसके लिए मध्याह्न भोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किये। इस योजना ने जहाँ बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किये वहीं शिक्षा को निःशुल्कता तक लाने का प्रयास भी किया।

सर्वशिक्षा अभियान का आरम्भ :–

वर्ष 2001 में आरम्भ किये गये सर्वशिक्षा अभियान जिसका आधार वर्ष 1998 में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में तैयार किया गया था। इस अभियान के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं –

- 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को वर्ष 2005 तक स्कूलों, शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र में सम्मिलित करना।
- समस्त प्रकार के भेदभाव प्राथमिक शिक्षा से वर्ष 2007 तक और बुनियादी शिक्षा से वर्ष 2010 तक समाप्त करना।
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देते हुए वर्ष 2010 तक सभी को शिक्षा मुहैया कराना।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नयी दिशा देने के लिए अनेक लघु एवं दीर्घकालीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जिसमें

मुख्य हैं–प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि।

शिक्षा गारण्टी योजना :–

शिक्षा गारण्टी योजना सर्व शिक्षा अभियान का ही एक घटक है। जिसका उद्देश्य स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रयास है। इस योजना में दुर्गम क्षेत्र की बस्तियों जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय मौजूद न हो और 6–12 वर्ष आयु के तकरीबन 15–25 बच्चे उपलब्ध हों, लाने का प्रयास है। पहाड़ी क्षेत्रों में 10 बच्चों की उपस्थिति ही निर्धारित की गयी है। प्राथमिक शिक्षा को पौष्टिक योजना से जोड़ने का दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई, तकरीबन 12 करोड़ बच्चों को लाभान्वित कर रहा है। वर्ष 2004 में इसके उद्देश्यों को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार निर्धारित किया गया –

(अ) कक्षा 1–5 तक की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई जिसमें नामांकन, उपस्थिति, स्कूल न छोड़ना और उनके अधिगम स्तर में सुधार लाना शामिल है।

(ब) स्कूल स्तर में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हुए उनके पौषणिक स्तर में सुधार लाना है।

(स) इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1–5 तक के सभी बच्चों को दोपहर के भोजन में 300 कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति एवं चुनौतियाँ :–

86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के जरिए शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार तो बन गई पर सरकारी स्कूलों का खालीपन योग्य शिक्षकों के बावजूद भर नहीं पाया है। 'स्कूल चलो अभियान' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम धरातल पर सफल नहीं हो पाये। यद्यपि शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी है, किन्तु इस जागरूकता का लाभ निजी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों को मिला जो मानकों के अनुकूल न होने पर भी कम योग्य अध्यापकों के सहारे महँगे शुल्क और बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। आज अभिभावक अपनी आय का एक बड़ा भाग इन पब्लिक स्कूलों की शिक्षा पर खर्च करने को तैयार हैं। बावजूद इसके कि सरकारी स्कूलों में नाममात्र की फीस व प्रशिक्षित अध्यापकों के। इसका कारण प्राथमिक शिक्षा–व्यवस्था में ही नजर आता है। जहाँ छात्र–छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है वहीं सरकारी नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन में व्याप्त उदासीनता देखने को मिलती है। जैसे विद्यालय तो हैं परन्तु विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी हैं किन्तु विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं। दोनों उपलब्ध हैं किन्तु शिक्षकों का अभाव और यदि ये तीनों स्थिति अनुकूल हैं तो यह देखने में आता है कि शिक्षक या तो सरकारी कार्यों से या निजी कार्यों से अनुपस्थित हैं। सरकार ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज शिक्षक बहुउद्देश्यीय कर्मी बन गया है, जो पढ़ाने के बजाय जनगणना, मकान गणना, मतदाता सूची, परिवार गणना, पल्स पोलियो अभियान, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, भवन निर्माण आदि कार्यों में सरकारी आदेशों पर व्यस्त रखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति का उदाहरण इस रूप में देखा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक–शिक्षिकाओं के बच्चे अपवाद स्वरूप ही सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की कमी है। इस कमी को दूर करने के प्रयास निरन्तर जारी हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने हेतु विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित कई विस्तृत कार्यक्रम राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर हाल ही में शुरू किये गये हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 'पढ़ाई के साथ कमाई करो योजना', सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप, प्राइमरी शिक्षा पाठ्यचर्या नवीनीकरण परियोजना, शिक्षा में दूरदर्शन, कम्प्यूटर प्रयोग आदि। इन सभी में 'यूनीसेफ' का योगदान अभूतपूर्व है।

प्राथमिक शिक्षा में आज भी 'अपव्यय–अवरोधन' तथा गैर नामांकन की समस्या गम्भीर है। यह समस्या मूलरूप से लड़कियों को लेकर है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में अभी भी महिला शिक्षकों की कमी चिन्तनीय है। हलांकि प्रयास जारी है। विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय महिला शिक्षकों की कमी विचारणीय है। इस प्रसंग में यह भी तथ्य उत्साहवर्धक है कि लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के लिए श्रेष्ठता के निष्पादन को मान्यता देने के लिए वर्ष 1983–84 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पुरस्कार देने की योजना परिचालित की गयी। इस विषय में यह और भी आवश्यक है कि अभिभावक लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपनी उदासीनता को दूर करे और स्थानीय उत्सुक लोग स्कूल में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने में अधिकाधिक योगदान करें।

निष्कर्ष/अनुप्रयोग :–

वर्तमान भारतीय प्राथमिक शिक्षा अनेक–विषम समस्याओं से ग्रस्त है। तथापि यह तथ्य नजरन्दाज नहीं किया जा सकता कि इन समस्याओं का समाधान खोजा ही नहीं जा सकता। भारत में शैक्षिक प्रगति हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली विकसित करने का प्रयत्न किया

गया जिसमें यह तथ्य शामिल है कि एक निर्धारित स्तर तक सभी विद्यार्थियों की पहुँच अच्छी शिक्षा तक होनी चाहिये। भले ही वे किसी जाति–सम्प्रदाय, स्थान, लिंग से सम्बन्ध रखते हों। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों में जो कमी बनी हुई है इसका कारण शिक्षा पर कम व्यय के चलते बना हुआ है। जिस दिन सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना आरम्भ कर देगी उस दिन मंहगी शिक्षा के नाम पर ठगी कर रहे पब्लिक स्कूलों के बोरिया–विस्तर बँधने शुरू हो जायेंगे। जब देश में मंत्री से लेकर संतरी तक के बच्चे एक जैसी शिक्षा पद्धति की छत्रछाया में आयेंगे तब सही मायने में इंडिया विजन 2020 का मार्ग प्रशस्त होगा और भूमण्डलीकरण के कारण राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा पर आ रही चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकेगा। तब शिक्षा न केवल योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित करने का माध्यम बनेगी बल्कि सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्र के चहुँमुखी विकास का आधार बनेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. भारतीय शिक्षा का इतिहास – मालती सारस्वत,
2. इण्डिया– 2008,
3. योजना– मार्च, 2007,
4. कुरुक्षेत्र– 2007,
5. क्रॉनिकल– फरवरी, 2008,
6. इण्डिया टूडे– जनवरी, 2008,
7. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र,

भारत ने विश्व–संस्कृति को अनेक बहुमूल्य अहिंसा व करुणा आदि श्रेष्ठतम मानव मूल्य प्रदान किये हैं। इतने पर भी हमारी शैक्षिक समस्यायें पूरे तौर पर समाधानित नहीं हुई हैं। आज शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी हमारे समक्ष है। भारतीय शिक्षा–व्यवस्था के द्वारा इसे भी दृष्टिसमक्ष रखा जाना है। दूरस्थ शिक्षा को और महत्व देना होगा। श्रव्य–दृश्य साधनों को बढ़ावा देना होगा और दूरदर्शन के अपदृश्यों को रोकना होगा। भारत में आज शिक्षा आम लोगों के द्वार तक कम लागत में पहुँचाई जा रही है। यह शुभ लक्षण हैं। इसे दूरदराज, पिछड़े क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तानों और समुद्री इलाकों में रहने वालों तक भी पहुँचाना होगा, साथ ही साथ शिशुओं की देखभाल में पुष्ट पोषाहार की व्यवस्था को कड़ाई से पालन करवाना होगा। इन स्थितियों–परिस्थितियों, समस्याओं, चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारतीय शिक्षा का आधुनिकतामण्डित शीघ्र सुष्ठु स्वरूपण अपरिहार्य हो गया है।